

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar,
Janpath, Jaipur

Notice is hereby given that the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (RVUN) has filed a petition before the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) for Approval of Truing -Up of Annual Revenue Requirement for FY 2013-14 to FY 2017-18 for Chhabra Thermal Power Plant (CTPP) unit 3 & 4 (2x250 MW) under RERC(Terms & Conditions for determination of Tariff) Regulations, 2009 & 2014.

Copies of the petition are available for inspection/ perusal and sale on payment of Rs. 100/- in the RERC office and in the office of the Petitioner at Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur. The petition is also available at RVUN website <http://energy.rajasthan.gov.in> and on RERC website www.rerc.rajasthan.gov.in.

The salient features of the Petition are as below:

All figures in (Rs Crore)

Particulars	FY 2013-14 (Unit 3)		FY 2014-15 (Unit 3)		FY 2014-15 (Unit 4)		FY 2015-16 (Unit 3&4)		FY 2016-17 (Unit 3&4)		FY 2017-18 (Unit 3&4)	
	As per RERC order	Actual/ Audited	As per RERC order	Actual/ Audited	As per RERC order	Actual/ Audited	As per RERC order	Actual/ Audited	As per RERC order	Actual/ Audited	As per RERC order	Actual/ Audited
Total Fixed cost	72.63	72.40	267.09	268.35	60.49	61.10	541.57	543.19	589.74	606.92	576.35	572.68
Variable cost	101.05	73.44	335.72	348.63	86.84	86.40	715.28	719.38	770.07	855.09	756.22	723.75
Total Expenses (A)	173.68	145.84	602.81	616.98	147.33	147.49	1256.85	1262.58	1359.81	1462.01	1332.57	1296.42
Total Revenue from electricity (B)		77.14		461.62		100.59		965.08		1294.51		1146.70
Total amount sought (C)=A-B		68.70		155.36		46.91		297.50		167.50		149.72

Persons desirous to file comments/suggestions may furnish it to the Receiving Officer, RERC, Vidyut Viniyamak Bhawan, Near State Motor Garage, Sahakar Marg, Jaipur -302001 with supporting details and an affidavit in form-3 of RERC (Transaction Of Business) Regulations 2005, in six copies, so as to reach the Receiving Officer on or before 11.10.2019.

Addl. Chief Engineer (PPMC&IT)
RVUN, Jaipur.

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर –302005.

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (राविउनि) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राविनिआ) के समक्ष, रा.वि.नि.आ (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2009 और 2014, के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) के डू अप के निर्धारण के अनुमोदन हेतु छबडा विद्युत तापीय परियोजना इकाई 3 एवं 4 के लिए याचिका प्रस्तुत की है।

याचिका की प्रतियां निरीक्षण / अवलोकन और बिक्री (100/- रुपये प्रति याचिका भुगतान) के लिए आयोग के कार्यालय में तथा याचिकाकर्ता के कार्यालय, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर में उपलब्ध रहेगी। याचिका हमारी बेबसाईट <http://energy.rajasthan.gov.in> तथा विद्युत विनियामक आयोग की बेबसाईट www.erc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

याचिका की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

विवरण	वित्तीय वर्ष 13-14 इकाई 3		वित्तीय वर्ष 14-15 इकाई 3		वित्तीय वर्ष 14-15 इकाई 4		वित्तीय वर्ष 15-16 इकाई - 3-4		वित्तीय वर्ष 16-17 इकाई 3-4		वित्तीय वर्ष 17-18 इकाई 3-4	
	आयोग के आदेशानुसार	वास्तविक/अंकेषित	आयोग के आदेशानुसार	वास्तविक/अंकेषित	आयोग के आदेशानुसार	वास्तविक/अंकेषित	आयोग के आदेशानुसार	वास्तविक/अंकेषित	आयोग के आदेशानुसार	वास्तविक/अंकेषित	आयोग के आदेशानुसार	वास्तविक/अंकेषित
कुल स्थिर लागत	72.63	72.40	267.09	268.35	60.49	61.10	541.57	543.19	589.74	606.92	576.35	572.68
परिवर्तनीय लागत	101.05	73.44	335.72	348.63	86.84	86.40	715.28	719.38	770.07	855.09	756.22	723.75
कुल खर्च (अ)	173.68	145.84	602.81	616.98	147.33	147.49	1256.85	1262.58	1359.81	1462.01	1332.57	1296.42
विद्युत बिक्री से कुल राजस्व (ब)		77.14		461.62		100.59		965.08		1294.51		1146.70
कुल अपेक्षित धनराशि (स)=अ-ब		68.70		155.36		46.91		297.50		167.50		149.72

यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावित याचिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक है तो वह प्राप्ति अधिकारी, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गैरिज के पास सहकार मार्ग जयपुर-302001 को सहायक जानकारी एवम राविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2005 हलफनामें के प्रारूप 3 के साथ भेजे अथवा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आपत्ति/सुझाव छः प्रतियो में प्रस्तुत किये जावें तथा प्राप्ति अधिकारी को दिनांक 11.10.2019 तक या उससे पहले तक पहुँच जाने चाहिये।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीमसी एवं आई.टी.)

रा.वि.उ.नि. ,जयपुर